शिक्षा विभाग, बिहार
(प्राथमिक शिक्षा निदेशालय)
आदेश

पटना, दिनांक............................

संचिका संख्या–8/आ० 5–02/2009 ..../निगरानी विभाग, (अन्वेषण ब्यूरो) बिहार, पटना के धावादल द्वारा दिनांक 22.01.2009 को श्री नागेन्द्र चौधरी, तत्कालीन प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, जलालपुर, छपरा सम्प्रति व्याख्याता, प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय, शाहपुर पटोरी, समस्तीपुर, सम्प्रति निलंबित, निर्धारित मुख्यालय–क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक का कार्यालय, दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा को रिश्वत लेते हुए रंगेहाथ गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया तथा इनके विरुद्ध निगरानी थाना कांड संख्या 004/2009 दिनांक 22.01.2009 दर्ज की गयी।

उपर्युक्त परिपेक्ष्य में विभाग द्वारा समानांतर रुप से आदेश ज्ञापांक 53 दिनांक 02.02.2009 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के सुसंगत नियमों के अन्तर्गत श्री चौधरी को हिरासत में लिये जाने की तिथि 22.01.2009 से निलंबित करते हुए विभागीय कार्यवाही के अधीन किया गया तथा आदेश ज्ञापांक 176 दिनांक 16.03.2009 द्वारा उनके विरुद्ध अभियोजन की स्वीकृति प्रदान की गयी।

निदेशालय के आदेश ज्ञापांक 186 दिनांक 17.03.2009 द्वारा श्री चौधरी के विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही का संचालन पदाधिकारी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, सारण प्रमंडल, छपरा एवं उपस्थापन पदाधिकारी उपाधीक्षक, जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय, सारण को नियुक्त किया गया। शिक्षा उपाधीक्षक का पद समाप्त होने के फलस्वरुप पुनः निदेशालय के आदेश ज्ञापांक 32 दिनांक 04.01.2012 द्वारा उक्त विभागीय कार्यवाही से संबंधित उपस्थापन पदाधिकारी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना), सारण को नियुक्त किया गया।

निदेशालय के आदेश ज्ञापांक 1395 दिनांक 07.12.2009 द्वारा श्री चौधरी को दिनांक 26.05.2009 को न्यायिक हिरासत से रिहा होने के पश्चात् आदेश निर्गत होने की तिथि से निलंबन से मुक्त किया गया तथा उन्हें व्याख्याता के पद पर प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय, शाहपुर पटोरी, समस्तीपुर पदस्थापित किया गया।

निदेशालय के आदेश ज्ञापांक–238 दिनांक–12.02.2014 द्वारा श्री चौधरी के विरुद्ध अधिरोपित आरोप गंभीर प्रकृति का होने तथा बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के कंडिका 03 (01) में निहित प्रावधानों के प्रतिकूल होने के कारण बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 9 (1)(क) एवं (ग) के तहत श्री चौधरी को तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक का कार्यालय, दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा मुख्यालय निर्धारित किया गया।

क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक–सह–संचालन पदाधिकारी, सारण प्रमंडल, छपरा के पत्रांक 183 दिनांक 28.08.2009 द्वारा उक्त विभागीय कार्यवाही से संबंधित जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया। फलतः बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 18 (02) एवं (03) में निहित प्रावधान के आलोक में निदेशालय के पत्रांक 862 दिनांक 14.02.2014 द्वारा संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की प्रति संलग्न करते हुए श्री चौधरी से लिखित अभ्यावेदन की मांग

की गयी। उक्त पत्र के आलोक में श्री चौधरी से लिखित अभ्यावेदन प्राप्त हुआ। संचालन पदाधिकारी द्वारा अपने जाँच प्रतिवेदन में किसी प्रकार का मंतव्य अंकित नहीं किया गया है और न ही इस तथ्य का संज्ञान ही लिया गयाा है कि श्री चौधरी द्वारा रिश्वत लेने का उक्त कृत्य इनके कर्त्तव्य के प्रति निष्ठा एवं सरकारी सेवक से अपेक्षित आचार के प्रतिकूल है। इनके द्वारा बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के कंडिका 03 (01) I, II एवं III का स्पष्ट रुप से उल्लंघन किया गया है।

अतः श्री नागेन्द्र चौधरी, तत्कालीन प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, जलालपुर, छपरा सम्प्रति व्याख्याता, प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय, शाहपुर पटोरी, समस्तीपुर, सम्प्रति निलंबित, निर्धारित मुख्यालय–क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक का कार्यालय, दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा से प्राप्त लिखित अभ्यावेदन को अस्वीकृत करते हुए "बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के भाग (V) के नियम 14 (XI) के तहत आदेश निर्गत की तिथि से सेवा से बर्खास्त (Dismiss) किया जाता है।

ह०/–
(अमरजीत सिन्हा)
प्रधान सचिव।

ज्ञापांक .... पटना, दिनांक

प्रतिलिपिः– निदेशक (प्रशासन)–सह–अपर सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना/जिला पदाधिकारी, सारण/समस्तीपुर/दरभंगा/क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, सारण प्रमंडल, छपरा/दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा/जिला शिक्षा पदाधिकारी, सारण/समस्तीपुर/दरभंगा/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना), सारण/समस्तीपुर/दरभंगा/कोषागार पदाधिकारी, सारण/समस्तीपुर/दरभंगा एवं श्री नागेन्द्र चौधरी, तत्कालीन प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, जलालपुर, छपरा सम्प्रति व्याख्याता, प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय, शाहपुर पटोरी, समस्तीपुर, सम्प्रति निलंबित, निर्धारित मुख्यालय–क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक का कार्यालय, दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/–
प्रधान सचिव।

ज्ञापांक .... पटना, दिनांक

प्रतिलिपिः– माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/–
प्रधान सचिव।

ज्ञापांक 508 पटना, दिनांक 4/4/14

प्रतिलिपिः– आई०टी० मैनेजर, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रधान सचिव।